

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नगरपालिका विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 111वीं बैठक दिनांक 22.01.2007 में लिये निर्णयों / सुझाव का विवरण।

क्रमांक: 111/जोन-11/07/11/227

दिनांक 27/1/07

क्र.सं.	एस.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1.	111.1	कार्यकारी समिति की 110 वी बैठक दिनांक 22.12.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2.	111.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ग्वार ब्राहमणान सांगानेर के खसरा नं. 968, 982, 983 कुल किता 3 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
3.	111.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बीलवा, सांगानेर के 90बी शुदा ख. नं. 1010, 1095, 1108, 1109, 1118, 1119, 1116/2170, 1093, 1097, 1098, 1106, 1107, 1113, 1114, 1120, 1121, 1122, 1094, 1111, 1112, 1115, 1116, 1117, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 ग्राम मानपुर नांगल्या, सांगानेर के 90बी शुदा ख.नं. 190, 191, 198/628, 178, 182, 189, 192/610, 175, 179, 192, 191/627 ग्राम बीलवा, सांगानेर के 90बी से नहीं ख.नं. 945, 992, 1017, 1018, 991, 940, 1070, 1071/2166, 1072, 941, 946, 990, 995, 1004, 1065, 1067, 1076, 1068/2168, 942, 947, 957, 988, 993, 994, 1005, 1006, 1066, 1068, 1073, 1077, 1086, 1084/2169, 1019, 1020, 1033, 1034, 1035, 1052, 1053, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1054/2041, 1054/2042, 1017/2078, 1056/2167, 1033, 943, 944, 958, 989, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1074, 1075, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 946/2160, 995/2161, 1071/2162, 932, 933, 934, 935, 936, 939, 959, 960, 961, 962, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 890/2158, 1008/2159, 937, 938, 1007, 1008, 1016, 1054, 1055, 1056, 1063, 867/2157, 997/2163, 1004/2164, 1006/2165, 1096, ग्राम मानपुर नांगल्या, सांगानेर के 90बी से नहीं ख. नं. 193, 194, 195, 196, 186, 187, 188, 184/603, 185/604, 195/606, 197 में से सड़क में निहित होने वाली 5663.26 वर्ग मीटर एवं प्लान्टेशन कोरिडोर की 9060.90 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि 356275.84 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सड़क में निहित होने वाली 5663.26 वर्ग मी. एवं प्लान्टेशन कोरिडोर की 9060.90 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि 356275.84 वर्ग मी. का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
4.	111.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नागल पुरोहितान तहसील आमेर के खसरा नं. 389, 390/1190/2, 391/1191/3, 390/1190/1, 391/1191/2 रकबा 2.85 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ईकोलोजिकल से आवासीय किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
10.		प्रस्ताव पुत्र सुनाराम द्वारा ग्राम चानू के खसरा नं. 3076/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर (900	के कारण सड़क से गुजर रही 11 के.पी. की एच.टी. लाइन जिसकी 773.22 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान में दर्शित नर्सरी औचार्ड से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	(आयोजना)/	
11.	111.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बाल्यावाला तहसील बस्ती के खसरा नं. 13/2, 14/2, एवं 15 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
12.	111.12	मित्र गृह निर्माण सड़कारी समिति की योजना विष्णु पुरी के भू.सं. 3 क्षेत्रफल 393.33 वर्ग गज का भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया जाकर सुझाव दिया गया कि प्रकरण आगामी बैठक में सम्पूर्ण तथ्य यथा रोड की चौड़ाई, मास्टर प्लान में दर्शाई गई स्थिति तथा भूखण्ड के मौके की स्थिति (किस काम में ली जा रही है) के साथ पेश किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
13.	111.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हसमपुरा तहसील सांगानेर के आवेदित खसरा नं. 279 रकबा 0.54 है० में से 0.05 है० ख.नं. 280 रकबा 0.28 है० में से 0.26 है० ख.नं. 281, रकबा 0.22 है० में से 0.08 है० ख.नं. 282 रकबा 1.34 है० सम्पूर्ण ख.नं. 283 रकबा 0.37 है० सम्पूर्ण ख.नं. 284 रकबा 0.02 है० सम्पूर्ण एवं ख.नं. 288/371 रकबा 0.37 रकबा 0.20 है० में से 0.10 है० कुल रकबा 2.22 है० रिग रोड की अवाप्ति में आता है को छोड़ते हुए शेष ख.नं. 258/2 रकबा 0.26 है० 272/2 रकबा 0.32 है० ख.नं. 273/2 रकबा 0.14 है० ख.नं. 274/2 रकबा 0.15 है० ख.नं. 275 रकबा 0.02 है० ख.नं. 276/2 रकबा 0.18 है० ख.नं. 277 रकबा 0.33 है० ख.नं. 278 रकबा 0.03 है० ख.नं. 279 में से रकबा 0.49 है० ख.नं. 280 में से रकबा 0.02 है० ख.नं. 281 में से रकबा 0.14 है० ख.नं. 288/371 में से रकबा 0.10 ख.नं. 288/1 रकबा 0.06 ख.नं. 272/1 रकबा 0.08 ख.नं. 273/1 रकबा 0.04 है० ख.नं. 274/1 रकबा 0.04 ख.नं. 276/1 रकबा 0.04 है० कुल किता 17 रकबा 2.44 है० में से 667 वर्गमीटर सड़क के रकबे को छोड़ते हुए शेष रकबा 23733 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवेदित भूमि में से मुख्य अजमेर रोड एवं प्रस्तावित रिग रोड में निहित होने वाली 667 वर्ग मी. भूमि कम करते हुये शेष भूमि 23733 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
14.	111.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित तहसील चाकसू ग्राम जयमोहनपुरा उर्फ मलवा के ख.नं. 262, 263, 266, 275, 344, 441, 258, 259, 264, 265, 267, 268, 236, 270, 271, 433, 479/515, 480/516, 481, 482, 483 किता 21 रकबा 3.67 हैक्टेयर ग्राम नाहरिया का बास के ख. नं. 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 118, 119, 278, 282, 283, 287, 581, 582, 662, 683, 684, 102, 120, 121, 122, 123, किता 23 रकबा 9.40 हैक्टेयर ग्राम रानीपुरा के ख.नं. 247, 248, 249/334, 353/323 किता 4 रकबा 0.55 हैक्टेयर ग्राम चक चन्दलाई नं. 2 के ख.नं. 4, 5, 6, 30, 31, 32, 33, 34 किता 8 रकबा 2.10 हैक्टेयर का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

			आगामी ई.सी. की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।		
16.	111.16	जयिप्रा क्षेत्र में स्थित तहसील चाकसू ग्राम शिवदासपुरा के खसरा नम्बर 458, 461, 476, 130 किता 4 रकबा 0.26 हैक्ट. ग्राम रामपुरा बास गोनेर के खसरा नम्बर 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 280, 486/1, 487, 488, 489, किता 12 रकबा 5.12 हैक्ट. ग्राम चन्दलाई के ख.नं. 1404, 1403/1, 1403/2, 2714/6569, 2715/6570, 2537, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6189, 6190, 6191, 6192, 2852, 2854, 2898, 2903, 2904, 5993/6537, 5997, 1324, 1320, 1322, 1354/6397, 1358, 1362, 1088/6612, 1089/6613, 1091/6614, 1126/6616, 1127/6618, 1107/6615, 1129/6617, 1135, 1128, 1136, 1137, 1138, 1142, 1097, 1098, 1099, 1100, 1133, 1134, 1139, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220 किता 56 रकबा 17.82 हैक्ट. (तीनों ग्रामों के कुल किता 72 कुल रकबा 23.20 हैक्ट.) भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सेक्टर रोड/ मास्टर प्लान रोड/रेलवे बाउन्ड्री से प्रभावित भूमि से योजना प्रस्तुत करने पर नियम अनुसार छोड़ने की शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
17.	111.17	सेक्टर अभियन्ता (साइट अभियन्ता) के सीधी भर्ती कोटा के 10 पदोन्नति कोटा में एक बारीय स्थानान्तरित करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता के 10 पदों को अस्थाई रूप से पदोन्नति कोटा में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु यह पदोन्नतिया Adhoc होंगी। जैसे-जैसे सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता प्राप्त होंगे वैसे-वैसे उक्त 10 पद स्वतः ही सीधी भर्ती से भर लिये जाएंगे तथा प्रकरण को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अध्यक्ष जयिप्रा की अनुमति से प्राधिकरण (Authorighty) की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	अतिआयुक्त (प्रशासन)	
18.	111.18	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित तहसील सांगानेर के राजस्व ग्राम ठिकरिया के ख. नं. 748, रकबा 0.91 है०, ख.नं. 773 रकबा 0.22 है०, ख.नं. 764 रकबा 0.19 है०, ख. नं. 765 रकबा 0.28 है०, ख.नं. 770 रकबा 0.14 है०, ख.नं. 771 रकबा 0.20 है०, ख.नं. 772 रकबा 0.12 है०, ख.नं. 778 रकबा 0.02 है०, ख.नं. 781 रकबा 0.22 है०, ख.नं. 763 रकबा 0.25 है०, ख.नं. 749 रकबा 0.75 है०, ख.नं. 762 रकबा 0.01 है०, ख.नं. 774/1 रकबा 0.09 है०, कुल किता 13 कुल रकबा 3.38 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
19.	111.19	जयिप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1929 से 1932, 1938, 1939, 1940, से 1946, 1957, 1958 कुल किता 14 रकबा 7.10 है० भूमि में से सेक्टर सड़क में निहित होने वाले भाग के पश्चात् शेष उपान्तरण योग्य क्षेत्र 5.22 है० का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शित खुला स्थान, पार्क व रिक्रियेशनल से आवासीय किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सेक्टर सड़क में निहित होने वाले भाग के पश्चात् शेष 5.22 है० भूमि का भू-उपयोग खुला स्थान, पार्क व रिक्रियेशनल से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

				अधिकारी	रिपोर्ट
20.	111.20	जविप्रा की योजना राजस्व ग्राम ढण्ड तहसील आमेर के खसरा नं. 3 रकबा 15.15 है0 भूमि में से 8111 वर्ग मीटर भूमि ईकोलोजिकल से संस्थानिक प्रयोजनार्थ एवं 116124 वर्ग मीटर ईकोलोजिकल से व्यावसायिक (होटल) किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम ढण्ड तहसील आमेर के खसरा नं. 3 रकबा 15.15 है0 भूमि में से 8111 वर्ग मीटर भूमि ईकोलोजिकल से संस्थानिक प्रयोजनार्थ एवं 116124 वर्ग मीटर ईकोलोजिकल से व्यावसायिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	
21.	111.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम घाटिका सांगानेर के ख.नं. 318 से 323, 329, 342, 343, 347, 6488/316 कुल किता 11 रकबा 266है0 अर्थात् 26600 वर्ग मीटर भूमि में से प्रस्तावित 160' सड़क में निहित होने वाली 1739.69 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 24860.31 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सड़क क्षेत्र में आ रही 1739.69 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 24860.31 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
22.	111.22	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में विस्थापित परिवारों के भूखण्ड/आवास आवंटन के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर के आवास संख्या 8 व 578 का नियमितिकरण किये जाने की पुष्टि की गई।	उपायुक्त जोन-8	
23.	111.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित सयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कौंसो कालोनी के भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 619.05 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक निम्न मानदण्ड अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया :- सैटबैक सामने-1- 25 '0", सामने-2- 25 '0", साईड- 10 '0" साईड-2- 10 '0", अधिकतम उचाई -12.0 मीटर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र- सैटबैक सीमा के अन्दर जो प्राप्त हो। एफ.ए.आर. - 1.2 आवेदक द्वारा नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन पश्चात् ही निर्माण कराया जाएगा।	निदेशक (आयोजना) / जोन-7	
24.	111.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित दी कृष्णा कॉर्पोरेटिव सोसायटी की योजना मलबार विहार के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 377.77 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक निम्न मानदण्ड अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया :- सैटबैक सामने-1- 20 '0", साईड-1- 10 '0" (भू.सं. 10 की ओर) साईड-2- चरपेआ (भू.सं. 12 की ओर) पीछे 10 '0" अधिकतम उचाई -12.0 मीटर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र- सैटबैक सीमा के अन्दर जो प्राप्त हो। एफ.ए.आर. - 1.2 आवेदक द्वारा पुराना निर्माण ध्वस्त कर नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन पश्चात् ही निर्माण कराया जाएगा।	निदेशक (आयोजना) / जोन-7	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिय गया निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
25.	111.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित सयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कौन्सो कालोनी के भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 633.33 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक निम्न मानदण्ड अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया :- सैटबैक सामने- 25 '0" साइड-1- 10 '0" साइड-2- 10 '0" पीछे 10 '0" अधिकतम उंचाई -12.0 मीटर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र- सैटबैक सीमा के अन्दर जो प्राप्त हो। एफ.ए.आर. - 1.2 आवेदक द्वारा नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन पश्चात् ही निर्माण कराया जाएगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
26.	111.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 117, 525, 526, 527/701, 611, 612, 614, 625, 79, 82, 341, 342, 419, 494, 495, 503, 504, 505, 506, 507, 511, 512, 527, 528, 529, 590, 638, 639 कुल कित्ता 28 रकबा 12.03 है० भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रश्नगत भूमि में से 100 फीट प्रस्तावित सड़क की भूमि नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
27.	111.27	श्री गोपाल लाल शर्मा को दिनांक 28.02.90 से अर्द्धस्थायी किये जाने हेतु वर्कवाज में दिनांक 28.02.90 से 31.12.98 तक एक मुंशी का पद सृजन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
28.	111.28	राजनयन अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु राजनयन आवासीय योजना में दिनांक 1.9.06 को आवंटन पत्र जारी किये गये हैं। आवंटन के पश्चात् के जारी किये जाने वाले कब्जा व लीजडीड में पुरुष आवंटी से सहमति प्राप्त कर उनकी पत्नि का नाम जोड़कर कब्जा पत्र व लीजडीड जारी की जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवंटी से सहमति ली जाकर पुरुष आवंटीयों के साथ उनकी पत्नि का नाम जोड़कर कब्जा पत्र व लीजडीड जारी करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12	
29.	111.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम वाटिका सांगानेर ख.नं. 5671, 5672, 5624, 5626 से 5636, 5646, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5655, 5656, 5657, 5670, 5673, 6475/5667, 6476/5668, 6477/5669 कुल कित्ता 28 रकबा 10.30 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
30.	111.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बगराना तहसील जयपुर के खसरा नं. 617 रकबा 33 बीघा 08 बिसवा रिग रोड की अवाप्ति में आने वाली भूमि को छोड़कर 7 बीघा भूमि का ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 33 बीघा 08 बिसवा रिग रोड की अवाप्ति में आने वाली भूमि को छोड़कर 7 बीघा भूमि का ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-10	
31.	111.31	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित सयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कौन्सो कालोनी के भूखण्ड संख्या 24 क्षेत्रफल 591.18 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	

33.	111.33	मालानी में श्री जयपुर नगर द्वारा मालानी में कय किये गये व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 175 को निर्यात करने का प्रस्ताव को कारण नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा कालवाड रोड के निलामी में कय किये गये व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 175 को नियमितिकरण किये जाने की पुष्टि की गई।	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	
34.	111.34	मालानी में श्री जयपुर नगर द्वारा मालानी में कय किये गये आवासीय भूखण्ड संख्या ए-22 की निर्यात करने का प्रस्ताव को कारण नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पत्रकार कॉलोनी ग्राम धोलाई के निलामी में कय किये गये आवासीय भूखण्ड संख्या ए-23 को नियमितिकरण किये जाने की पुष्टि की गई।	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	
35.	111.35	कनिष्ठ संस्करण में 22 की आ सोपी नती कोटा से पदोन्नति कोटा में स्थानान्तरित करने की संभावना बाबत।	सैधान्तिक रूप से प्रस्ताव पर सहमति है परन्तु वर्तमान में प्रचलित इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी की ध्यान में रखते हुये पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राधिकरण द्वारा दिलवाया जावे, जिसमें सफल होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर पुनः प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
36.	111.36	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम घावण्ड का मण्ड तहसील जमावारा मण्ड के खान 148 रकबा 16 बिस्वा में से 1302 वर्ग गज भूमि ईकोलोजिकल से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्देशक (आयोजना)/ जोन-10	
37.	111.37	जयपुर विकास प्राधिकरण में अति. आयुक्त का एक पद वेतन श्रृंखला 19 (14300-400-18300) में सृजित किये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक (वित्त) से प्रकरण में विस्तृत परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
38.	111.38	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में विस्तारित परिवारों के भूखण्ड/आवास आवंटनों के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर के भूखण्ड/आवास संख्या 467 का नियमितिकरण किये जाने की पुष्टि की गई। एवं भूखण्ड/आवास सं. 415 को नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
39.	111.39	कल्पना नगर योजना के भूखण्ड संख्या जी-165 के नाम हस्तान्तरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृति किया गया एवं जविप्रा की विभिन्न योजनाओं में आवेदन प्रस्तुत करने एवं लॉटरी निकाले जाने से पूर्व आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में आवेदक के नौमीनी/विधिक उत्तराधिकारी को आवंटनी माना जावे। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विधिक उत्तराधिकारी को आवंटनी माना जावेगा।	उपायुक्त जोन-12	

अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				अधिकारी	रिपोर्ट
40.	111.40	जविप्रा क्षेत्र स्थित राजस्थ ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू के खसरा नम्बर 1958/2, 1959/2, 1960/2, 1961/2, 1962/2, 1959/1 किता 6 रकबा 15800 वर्गमीटर का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से औद्योगिक किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
41.	111.41	जविप्रा क्षेत्र में स्थित लालकोठी योजना के सहकार मार्ग 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखण्ड सं. बी-73ए, क्षेत्रफल 500 वर्गगज का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शित आवासीय से व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया एवं भूखण्ड का व्यावसायिक उपान्तरण के पश्चात् भी भूखण्ड पर पैरामीटर्स नियम अनुसार जो भी है लागू होंगे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-3	
42.	111.42	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सारंगपुरा तहसील सागानेर के खसरा नम्बर 412/779, 819/442 सम्पूर्ण, 430, 431, 432 हिस्सा 4/20, 412, 413 हिस्सा 1/12, 387, 388, 401, 145, 144/693, 144, 398, 408 सम्पूर्ण, 141, 142, 143 हिस्सा 1/3, 427 सम्पूर्ण कुल रकबा 4.84 हेक्टेयर एवं ग्राम ठीकरिया तहसील सागानेर के खसरा नम्बर 831, 518, 523/1255, 517/1155 सम्पूर्ण कुल रकबा 3.11 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ख.न. 819/442 रकबा 0.63 है 0 को छोड़ते हुये शेष रकबे का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
43.	111.43	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मधुरावाला तहसील सागानेर के खसरा नम्बर 126/3, 127, 128/3, 5/1, 6/3 किता 5 रकबा 1.77 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से विद्यामन सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ने पर सड़क में निहित होने वाली 2403.85 वर्गमी. भूमि निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 15376.95 वर्गमी. भूमि ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
44.	111.44	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गोनेर तहसील सागानेर के खसरा नम्बर 744 से 757, 762 से 766, 769 से 772, 775 से 781, 790 से 793, 800 नि.न. 826 से 865, 827/1, 851/1 857/1, 869 से 876, 742/3534, 833/3485, 996 से 998, 1608, 743/3535, 761/3537 कुल किता 100 रकबा 23.26 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मास्टर प्लान में दर्शित 300 फीट रोड से प्रभावित 1400 वर्गमी. भूमि को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष बची 2326 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
45.	111.45	सहायक लेखाधिकारी के एक पद को लेखाधिकारी में कमोन्त करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जावे।	अति आयुक्त (प्रशासन)	
46.	111.46	कारपेन्टर ग्रेड-1 के एक पद को कारपेन्टर ग्रेड-2 में डाउन ग्रेड करने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कारपेन्टर ग्रेड-प्रथम के पद को कारपेन्टर ग्रेड-द्वितीय में डाउन ग्रेड किये जाने की स्वीकृति दी गई।	अति आयुक्त (प्रशासन)	
47.	111.47	Approval of tender for- (i) Providing, Laying & Joining of lateral sewer lines in unsewered portion (between Niwaru, 200' bye pass & Benad road) of Jhotwara area, Jaipur Package-I (ii) Providing Laying & Joining of lateral sewer lines in unsewered portion (between Niwaru, 200' bye pass & Benad road) of Jhotwara area, Jaipur Package-II	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निदेशक (अभियान्त्रिकी)/जोनल अभियन्ता (पी.एच.ई.-द्वितीय) से प्राप्त निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :- Package-I rate Part 'A' @ 29.99% above & Part 'B' @ 15% above amounting to Rs. 30551888.03 Package-II rate Part 'A' @ 29.98% above & Part 'B' @ 15% above amounting to Rs. 26155341.51	निदेशक (अभियान्त्रिकी) / पी.एच.ई.	

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
48.	111/48	जयपुरा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 136, 136/1751, 138 से 146, 148, 149, 152/1702, 09 कुल किता 15 रुकबा 6.06 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, कि सड़क में आने वाली 1582.42 वर्गमीटर भूमि जयपुरा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि 59017.58 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जावे। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक ५-२(ई.सी.) / जविप्रा / पसा / जॉन-१२ / २००४ / ११-२३/१
प्रतिलिपि निम्न को अपलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.सं.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं वास्तव्य विभाग, जयपुर।
2.	पहापीर	जयपुर नगर निगम।
3.	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4.	अध्यक्ष	राजस्थान आयोजन मण्डल।
5.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास विभाग, जयपुर।
9.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग, जयपुर।
10.	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक विमाण विभाग, जयपुर।
16.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17.	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	आतिरिक्त आयुक्त पूर्व / परिचय / प्रशासन / एल पी सी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	उपायुक्त जॉन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 111वी बैठक दिनांक 22.01.07 को प्रातः 11:30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभागृह भवन नं. 01 डी. बी. गुप्ता, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

395

क्र.सं.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री ओ.पी. गुप्ता	शासन उप सचिव-द्वितीय	नगरीय विकास विभाग राजस्व/राजस्व	सदस्य के प्रतिनिधि
2	श्री ओ. एल. गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्रीमती कोमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस. सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.सी. महापात्रक	निदेशक (आयोजना) एच.टी. पी. एम. पी.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद कडिया	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री आर.जी. महावर	सहायक नगर नियोजक	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री एम. सी. अग्रवाल	अधिशायी अभियन्ता (सी.डी. 4)	जे. बी. पी. एन. एल. जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री अशोक कुमार शर्मा	उपपुलिस अधीक्षक	एस.पी. मुख्यालय (पुलिस लाइन)	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री माधव शर्मा	सहायक अभियन्ता	आर.टी.डी.सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12	सुश्री रेखा गुप्ता	अति आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री रामनिवास मीणा	अति आयुक्त (परिचय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री मातादीन शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री सी.एम. अग्रवाल	ओ.एस.डी. (आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री एल.आर. तोषाबडा	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्रीमती रशमी गुप्ता	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री गिरिराज अग्रवाल	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री महेन्द्र पारख	उपायुक्त जोन-4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री इन्दर सिंह सोलंकी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री के.ए. त्रिवेदी	उपायुक्त (प्रशासन/जोन-10)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

[Signature]